

राजस्थान-सरकार

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झालावाड

क्रमांक:भू-अ0/रेल्वे/16/06

दिनांक:- 11/01/2016

श्रीमान उपनिदेशक महोदय

डी0ओ0आई0टी0 झालावाड

**विषय:-** रामगंजमण्डी भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना निर्माण हेतु ग्राम गिन्दोर तहसील झालरापाटन जिला झालावाड की 6.82 हैक्टर निजि भूमि अवाप्त किये जाने की अधिसूचना क्रमांक प.6(15)परि/रे.प्र./मु./2014/6722-25 दिनांक 24.04.2015 का सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने बाबत।

**प्रसंग:-** कार्यालय का पत्र संख्या भू0अ0/रेल्वे/15/283 दिनांक 20.11.15 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि रामगंजमण्डी भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम गिन्दोर तहसील झालरापाटन जिला झालावाड की 6.82 हैक्टर निजि खातेदारी भूमि अवाप्त किये जाने की अधिसूचना क्रमांक प.6(15)परि/रे.प्र./मु./2014/6722-25 दिनांक 24.04.2015 श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महोदय परिवहन विभाग जयपुर राजस्थान से प्राप्त हुई हैं। जिसमें संयुक्त शासन सचिव महोदय द्वारा भूमि अवाप्ति की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया है ।

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(ग) के अनुसार अधिसूचना का सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है । पत्र के संलग्न अधिसूचना दिनांक 24.04.2015 की प्रति भिजवाई जा रही हैं । अधिसूचना को वेबसाइट पर अपलोड किया जाकर सूचना से अवगत करावें । चाही गई सूचना आज दिनांक तक अप्राप्त हैं । अतः अधिसूचना को वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका हो तो सूचना से अवगत कराने का श्रम करें ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी  
(उपखण्ड अधिकारी) झालावाड